राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3 अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।

कमांकः– प.11(204) आरएण्डपी / डीडीबीसी / सान्याअवि / 2011/66293

जयपुर दिनांकः– 23.12.2014

समस्त जिला कलेक्टर्स

....

विषयः– मीना MINA / मीणा MEENA जाति के व्यक्तियो को जारी किये जा रहे अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रो के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पूर्व पत्र कमांक प.11 (204)आरएण्डपी / डीडीबीसी / सान्याअवि / 2011 / 53218 दिनांक 30 सितम्बर 2014 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा उल्लेखित किया गया था कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान राज्य के लिए मीना MINA जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित है परन्तु जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मीना MINA / मीणा MEENA दोनो Spelling वाले अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किये जाते आ रहे हैं।

इस संबंध में रिट पिटिशन संख्या 1862 / 2013 कैप्टन गुरविन्दर सिंह बनाम राजस्थान राज्य एंव अन्य मे याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय को जरिये एफीडेविट कुछ दस्तावेज इस आशय के प्रस्तुत किये कि कुछ व्यक्तियों द्वारा पहले मीणा MEENA की spelling से अनुसूचित जनजाति में जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये है एवं पुनः उन प्रमाण पत्रों को मीना MINA की spelling से प्राप्त किये जा रहे है। प्रासंगिक पत्र द्वारा इस संदर्भ में spelling परिवर्तित कर पुनः प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगायी गयी थी। अत इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि जिन आवेदको द्वारा पूर्व में MEENA spelling से एस.टी. का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है उस आवेदक को पुनः MINA की spelling परिवर्तित कर एस.टी. का जाति प्रमाण पत्र जारी नही किया जावे। अतः विभाग के पूर्व पत्र कमांक प.11(204) आरएण्डपी / डीडीबीसी / सान्याअवि / 2011 / 53218 दिनांक 30 सितम्बर 2014 के संबंध में उक्त स्पष्टीकरण के साथ जारी किया जाता है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रकिया में किसी प्रकार का रद्दोबदल नही किया गया है।

भवदीय

(सुदर्शन सेठी) 23.12.2014
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1,अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।

क्रमांक प.11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/ S 3218 जयपुर दिनांकः 30 सितम्बर 2014

समस्त जिला कलक्टर्स,

....

विषय :– मीना (MINA)/मीणा (MEENA) जाति के व्यक्तियो को जारी किये जा रहे अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्रो के संबध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रम संख्या 9 पर MINA (मीना) जाति का अंकन किया गया है परन्तु प्रायः यह देखा गया है कि जाति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों द्वारा मीना (MINA)/मीणा (MEENA) दोनो की एक ही जाति/वर्ग मानते हुए इस जाति के व्यक्तियो को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्र जारी किये जाते आ रहे है।

वर्तमान मे यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है। रिट पिटिशन संख्या 1862/2013 कैप्टन गुरविन्दर सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मे याचिकाकर्त्ता ने माननीय उच्च न्यायालय मे इस आशय का एक एडीशनल एफीडेविट दस्तावेजो सहित प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मे कुछ व्यक्तियों द्वारा पहले मीणा (MEENA) की spelling से अनुसुचित जनजाति में जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये है एवं पुनः उन प्रमाण–पत्रो को मीना (MINA) की spelling से प्राप्त किये जा रहे है।

चूंकि यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस सम्बध में समस्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आगामी आदेशों तक जिन व्यक्तियो को मीणा (MEENA) जाति का प्रमाणपत्र दिया हुआ है को मीना (MINA) जाति मे परिवर्तित कर जाति प्रमाण–पत्र जारी नही करे। उपरोक्त निर्देशो की अक्षरतः पालना सुनिश्चित की जावे। निर्देशो की अवहेलना पर सम्बन्धित सक्षम अधिकारियो के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

भवदीय,
30.9.2014
(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव

latter